न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

प्रकीर्णवाद संख्या- 01/12/2018

वादी- श्री मुनीर अहमद, अवर अभियन्ता विद्युत विभाग हमीरपुर।

मुकदमा अपराध संख्या- 135/15
धारा- 138(B) विद्युत अधिनियम,
थाना- सिसोलर, जिला- हमीरपुर

दिनांक-22-04-2018

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध श्री मुनीर अहमद, अवर अभियन्ता विद्युत विभाग हमीरपुर द्वारा दिनांक 23-03-2015 की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 23-03-2015 को 18.30 बजे थाना सिसोलर, जिला हमीरपुर में उपर्युक्त अभियोग पंजीकृत करवाया गया था।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए कि अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना विद्युत विभाग को शमन शुल्क अदा कर दिया गया है। धारा 152 भारतीय विद्युत अधिनियम के प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की विवेचना समाप्त कर एफ 0 आर 0 न 0- 12/15 दिनांकित 14-04-2015 प्रेषित किया है।

उपर्युक्त वादी मुकदमा अवर अभियन्ता को तलब किया गया। वह उपस्थित हुआ और जरिये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण के विवेचक द्वारा प्रेषित की गयी उक्त एफ 0 आर 0 से सहमत है और उक्त एफ 0 आर 0 स्वीकृत करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि स्वयं वादी मुकदमा/अभियोजन पक्ष पुलिस के विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त एफ 0 आर 0 से सहमत हैं जिसे स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इसलिये प्रस्तुत एफ 0 आर 0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या- 135/15 धारा- 138(B) विद्युत अधिनियम, थाना- सिसोलर, जिला- हमीरपुर में पुलिस के विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफ 0 आर 0 न 0- 12/15 दिनांकित 14-04-2015 स्वीकार की जाती है। प्रकीर्णवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 22-04-2018

(विजय पाल)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।